

मद संख्या XIX(ज)

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/आवश्यक वेब लिंक
XIX(छ)	आरटीआई (धारा 26) की एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्यक्रम	(i) शैक्षिक कार्यक्रम	कार्मिकों को हर साल विभिन्न कार्यात्मक और व्यवहारिक आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है। कर्मचारियों को आरटीआई से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।
		(ii) सार्वजनिक प्राधिकरण को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास	
		(iii) सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण	
		(iv) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देश को अद्यतन और प्रकाशित करना	आरटीआई प्रकटीकरण की सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है

